न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 17/2008

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. किशन पुत्र परसादी
2. बनवारी पुत्र पसादी
3. मोहन पुत्र परसादी
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम समलेटी तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा (प्राधिकृत अधिकारी उपजिला कलेक्टर महवा) जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील महवा
3. भारत संघ जरिये सचिव पोत परिवहन सडक राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली
4. अधिशाषी अभियंता नेशनल हाईवे नं0 11 दौसा
5. परियोजना निदेशक एन एच ए आई इन्द्रा कॉलोनी बस डीपो के सामने आगरा रोड दौसा

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय
राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री वरूण नागर अधिवक्ता प्रार्थीगण पक्ष
2. श्री दीपक शर्मा अप्रार्थी सं0 5 की ओर से
3. श्री नवल किशोर शर्मा पैरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 07.01.2021

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, महवा द्वारा जारी अवार्ड आदेश दिनांक 12.03.2007 से असंतुष्ट होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पक्ष की बहस में दलील है कि ग्राम समलेटी तहसील महवा जिला दौसा मे प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1243 स्थित है। उक्त भूमि मेसे 1395 वर्गमीटर भूमि , भूमि अवाप्ति अधिकारी उपजिला कलक्टर महुआ द्वारा दिनांक 12.03.2007 को अवाप्ति की कार्यवाही की गई। जिकस मुआवजा राशि 1,78,309/–रूपये मात्र दिये जाने का प्रारूप तैयार किया गया। जबकि मौके अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 1243 में अवाप्तशुदा रकबे मेंसे 15 मीटर क्षेत्र छप्पर, दीवार एवं कुण्डे का है एवं 3 शीशम के पेड़, 1 सरस का पेड़, 3 सनेजना के पेड़ तथा 800 वर्गमीटर एरिया में पानी की पाईप लाईन थे एवं बाउण्ड्रीवाल

Web Copy - Not Official

बनी हुई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने स्टेटमेन्ट ऑफ कम्पनसेशन टेबिल मे मौके की वस्तुस्थिति को सही रूप से वर्णित नही किया। प्रार्थीगण द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी से समक्ष आपत्ति पेश की गई एवं पेड़, छप्पर, दीवार आदि का स्टेटमेंट कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग का तैयार कराया जाकर प्रस्तुत किया गया है। पटवारी हल्का समलेटी द्वारा दिनांक 3.12.2007 को मौका पर्चा तैयार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मौका पर्चा, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस आदि पर भी कोई विचार नहीं किया गया और न ही डीएलसी दर का कोई मापदण्ड बनाया गया। जब उक्त भूमि में होकर नेशनल हाईवे पहले से ही मौजूद था उसे अब और चौड़ा किया गया है वहां यदि कोई भूमि अवाप्त की जाती है तो उसका मुआवजा आबादी के अनुरूप दिया जाना चाहिये जो नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में गै0मु0 चाह आबादी होना अंकित किया गया है। प्रार्थीगण की बहुमूल्य भूमि अवाप्त की गई है। भूमि का बाजार मूल्य अवाप्ति के दिन की डीएलसी रेट से तय होनी चाहिये थी। जिसके हिसाब से 30,03,334/–रूपये होते हैं व 800 वर्गफिट पाईप लाईन कीमती क्षतिग्रस्त हुई उसका मूल्य लगभग 1,00,000/– रूपये होता, इसके अलावा फसल क्षतिपूर्ति राशि 1,00,000/– रूपये होता है एवं अवाप्तशुदा भूमि में से जो छप्पर क्षतिग्रस्त हुआ है व उस छप्पर को अन्य जगह निर्मित करने का खर्चा 75000/– रूपये व रोड कटिंग का खर्चा 10,000/–रूपये इस प्रकार प्रार्थीगण को कुल 32,88,334/–रूपये मुआवजा राशि दिलाने का आदेश सक्षम प्राधिकारी को पारित करना चाहिये था। लेकिन ऐसा न कर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्योंको अनदेखा किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को कुल 32,88,334/–रूपये मुआवजा राशि दिलवाये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 5 द्वारा बहस में दलील दी गई कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारत की लोकनीति के स्पष्टतया विरूद्ध है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1243 के संबंध में सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित भूमि की दरों के आधार पर मौके की स्थिति, भूमि की संरचना, भूमि की प्रकृति , भूमि के उपयोग के आधार पर बाजार दर निर्धारित करते हुए मुआवजा राशि अभिनिर्धारित की है। प्रार्थीगण की विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1243 का अवाप्त रकबा 1395 वर्गमीटर का भूमि की किस्म चाही उत्तम के आधार पर बाजार दर 11,62,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर अभिनिर्धारित करते हुए अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि 1,62,099/–रूपये एवं उक्त भूमि के संबंध में हुई सुखाचार क्षतिपूर्ति राशि 16210/– रूपये कुल 1,78,309/–रूपये निर्धारित की गयी जो भारत की लोकनीति अनुसार अभिनिर्धारित की गई है। प्रार्थीगण अब किसी प्रकार की मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए अधिसूचना दिनांक 12.5.2006 में उक्त विवादग्रस्त आराजी की किस्म चाही उत्तम है तथा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी 3डी अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 में भी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात की किस्म चाही उत्तम है। इसी आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण को अगर भूमि के उपयोग केसंबंध में किसी प्रकार की आपत्ति थी तो प्रार्थीगण को 3ए अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया था प्राप्त कर लिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण स्वयं अपने वर्जनों से विबंधित (***Estoped***) है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी का सर्वे स्वतंत्र ऐजेन्सी एवं सरकारी एजेन्सी के माध्यम से करवाया गया जिसमें भी वादग्रस्त आराजी की किस्म चाही पायी गयी जिसके आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। प्रार्थीगण नितान्त ही गलत आधारों पर कृषि भूमि का आबादी के हिसाब से मुजावजा राशि प्राप्त करना चाहता है जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र सं0 17/2008

पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म चाही अंकित होने के कारण तद्नुसार ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि है केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए अधिसूचना दिनांक 12.5.2006 में उक्त विवादग्रस्त आराजी की किस्म चाही उत्तम है तथा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी 3डी अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 में भी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात की किस्म चाही उत्तम है। जिसके आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा आबादी भूमि के आधार पर मुआवजा चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2063–66 के अनुसार विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1243 की किस्म चाही अंकित है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया था प्राप्त कर लिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण स्वयं अपने वर्जनों से विबंधित (***Estoped***) है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official